

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धरा 19(2) के तहत तृतीय पार्टी द्वारा अपील

आई.डी.नं _____
(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

सेवा में

< केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी
समन्वयकर्ता केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी >

1. अपीलकर्ता का नाम :
2. पता :
3. आई.डी.नं. :
4. अपील के कारण * :

स्थान :

अपीलकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक :

ई-मेल पता, यदि हो तो :

टेलीफोन सं (कार्यालय) :

टेलीफोन सं (आवास) :

डाक-पता :

* तृतीय पार्टी द्वारा अपेक्षित सूचना के संबंध में अपील करने के कारण का उल्लेख करना चाहिए तथा तृतीय पार्टी की सहमति के बिना सीपीआईओ को मामले का निपटान करना चाहिए।